

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 747/2022

अनवान : -

1. यशवर्धन भाम्भू पुत्र रविन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ त० नोहर।

वादी

बनाम्

1. रविन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ त० नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री मदनमोहन जोशी वादी

श्री मांगेराम बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 6/01/25


संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 आरएमजी तहसील नोहर की खाता सं० 18/17 के प.न. 369/451 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, प.न. 370/451 के किला नं० 1 ता 25, प.न. 371/451 के किला नं० 1, 10, 11, 20, 21 कुल 45 किता की 9.9920 है० भूमि व 0.1280 है० भूमि गै.मू. रास्ता अर्थात् 10.1200 है० भूमि में से प्रतिवादी सं० रविन्द्र कुमार के नाम 1/6 हिस्सा भूमि अर्थात् 1.686666 है० भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति-रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं० 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं० 1 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं० 2 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने पेश किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण जन्म से हक


उपखण्ड अधिकारी उक्त
नोहर (हनुमानगढ़)

हिस्सा निहित है। वादी को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट कर वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 3 आरएमजी तहसील नोहर की खाता सं० 18/17 के प.न. 369/451 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, प.न. 370/451 के किला नं० 1 ता 25, प.न. 371/451 के किला नं० 1, 10, 11, 20, 21 कुल 45 किता की 9.9920 है० भूमि व 0.1280 है० भूमि गै.मू. रास्ता अर्थात् 10.1200 है० भूमि में से प्रतिवादी सं० रविन्द्र कुमार के नाम 1/6 हिस्सा भूमि अर्थात् 1.686666 है० भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं० 1 रविन्द्र कुमार के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं० 1 ने अपना हक हिस्सा में से 1.012 है० भूमि वादी के पक्ष में त्याग कर शेष 0.67466 है० भूमि में स्वयं खातेदार काश्तकार रहेगा। इस प्रकार वादी वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 आरएमजी तहसील नोहर की खाता सं० 18/17 के प.न. 369/451 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, प.न. 370/451 के किला नं० 1 ता 25, प.न. 371/451 के किला नं० 1, 10, 11, 20, 21 कुल 45 किता की 9.9920 है० भूमि व 0.1280 है० भूमि गै.मू. रास्ता अर्थात् 10.1200 है० भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 रविन्द्र कुमार के नाम 1/6 हिस्सा भूमि अर्थात् 1.686666 है० भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 रविन्द्र कुमार की बजाय वादी सं० 1 यशवर्धन भाम्भू पुत्र रविन्द्र कुमार को 1.012 है० एवं प्रतिवादी सं० 1 रविन्द्र कुमार को 0.67466 है० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकाराने अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/01/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सत्यनारायण)

R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कुलक्टर, मोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर,
जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 747/2022

अनवान : -

1. यशवर्धन भाम्भू पुत्र रविन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ त० नोहर।

वादी

बनाम्

1. रविन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ त० नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदनमोहन जोशी व वकील प्रतिवादी श्री मांगेराम बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 आरएमजी तहसील नोहर की खाता सं० 18/17 के प.न. 369/451 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, प.न. 370/451 के किला नं० 1 ता 25, प.न. 371/451 के किला नं० 1, 10, 11, 20, 21 कुल 45 किता की 9.9920 है० भूमि व 0.1280 है० भूमि गै.मू. रास्ता अर्थात् 10.1200 है० भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 रविन्द्र कुमार के नाम 1/6 हिस्सा भूमि अर्थात् 1.686666 है० भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 रविन्द्र कुमार की बजाय वादी सं० 1 यशवर्धन भाम्भू पुत्र रविन्द्र कुमार को 1.012 है० एवं प्रतिवादी सं० 1 रविन्द्र कुमार को 0.67466 है० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/01/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर